24/3/2026	वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र वर्णित आराजियात में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 15 का संयुक्त खातेदारी है। जिसे बिना विधिवत विभाजन के अप्रार्थीगण बेचान करने पर आमादा है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। इसके बहस प्रार्थना पत्र पर मनन किया कि मैंने बहस पर मनन किया प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा सन्तुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। अतः [illegible] पेशी 5/3/2025 के निस्तारण तक मौका व [illegible] [illegible] की खसरा नं. 1796, 1797, 1815 कुल किता 3 कुल रकबा 0.50 हे० में [illegible] की यथा स्थिति रखाये रखें। पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] ही [illegible] [illegible]।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन